

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व सामान्य वनमण्डल, मण्डला ।
क्रमांक/मा01प0/ मंडला, दिनांक/ 13/2000
प्रति,

कलेक्टर,
छीनज शाखा - मंडला ।


विषय:- मे0 उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड (जी.सी.एल इंडिया लिमिटेड)।
छीन पट्ट प्रथम नवकरण जिला मण्डला ग्राम सुमदरा के
19.223 हे0 भूख।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रं. छीनज/ 1/ 2000/ 279 दि. 10.3.2000

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में निवेदन है कि मण्डल
क्षेत्र वन विभाग मंडालय भीषाल के पत्र क्रमांक एच/5/87/14/10-3
दिनांक 20.6.97 में निहित निर्देश बिन्दु क्रमांक 02 के अनुपालन में
वनमंडलाधिकारी, पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला का पत्र क्रमांक/
मा01प0/ 3467 दिनांक 18.9.98 द्वारा ग्राम छेरी पट्टे 01/0 18
छेरी क्रं. 167 तहसील व जिला मण्डला स्थित राजस्व भूमि 17.30
हेक्टर भारतीय वन अधिनियम 1927 के क्रमांक 1E तन 1927 की
छेरी 29 के तहत वैकील्पक वृक्षरोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण
की अधिसूचना प्रकाशन कार्यवाही हेतु प्रारूप मुद्रय वनसंरक्षक (भूतल)।
मण्डल भीषाल को और प्रेषित की गई है । अधिसूचना प्रकाशित
होने की सूचना अब तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, अधि-
सूचना प्राप्त होते ही आपको अवगत कराया जावेगा ।

आपके सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4 के सम्बन्ध
में कार्यालयीन क्रमांक मा01प0/590 दिनांक 4.3.2000 द्वारा
ओ.सी.एल. राजगंगपुर जिला सुन्दरगढ़ की मण्डल क्षेत्र वन
विभाग मंडालय वर्तमान भीषाल का पत्र क्रं. 147/99/10-3
दिनांक 12.1.2000 तथा मुद्रय वन संरक्षक ततपुड़ा भीषाल
का पत्र क्रं. नि.स./³⁶ भीषाल दिनांक 14.1.2000 के पैरा 03
में उल्लेखित बिन्दु के अनुपालन में स्वोक्त वन क्षेत्र में सीमेन्ट कान्क्रीट
के स्तंभ स्थापित तथा उन पर नम्बर अंकित करने वाक्य लेख कर,
आपकी इसकोतसूचना क्रमांक मा01प0/591 दि. 4.3.2000 द्वारा
प्रेषित की गई है ।

तदपत्र:- अधिसूचना प्रकाशन हेतु भी गये
प्रारूप की छायाप्रति.


वनमण्डल, अधिकारी,

पूर्व सामान्य वनमण्डल, मण्डल

पु०पु०/मा०पु०/

मंडलांक, दिनांक/

प्रतितीप:- मुख्य वनतंत्रक भुवनेश्वर मण्डल श्रीपाल की ओर

वनमंडलाधिकारी पश्चिम सामान्य वनमंडल मंडला का पत्र क्र० मा०पु०/ 3467 दिनांक 19 सितम्बर 1998 के अनुक्रम में सुनार्ड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बोधित कर निवेदन है कि उपरोक्त पत्र द्वारा प्रेषित अधिवृत्ति का प्रकाशन यदि हो गया हो तो एक प्रति इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।



वनमंडल, अधिकारी,

पूर्व सामान्य वनमंडल, मंडला

पु०पु०/मा०पु०/


699

मंडलांक/दिनांक/

15/08/2000

प्रतितीप:- भे० उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड राजमांगपुर जिला सुन्दरगढ़

उड़ीसा की सुनार्ड अधिवृत्ति



वनमंडल, अधिकारी,

पूर्व सामान्य वनमंडल, मंडला

मै०/१५-३-२०००

००

NOTIFICATION

No. In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) the State Government hereby declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest land / waste land, specified in the schedule below subject to the conditions that the existing right of individuals of communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Mandla Tahsil - Mandla Forest Division - East (I) Forest Division Range - Mandla

S.N	Name of Block	Name of Forest or waste land	Khasra No.	Area in hect.	Limit
1	Khairi	Village - Khairi P.H.No. 18	167	17.30	North - Northern boundary of Khasra No. 167 East - Western boundary of Khasra No. 167 South - Northern boundary of village Dhauranala and then western Northern, Eastern boundary of Khasra No. 185 then again village boundary of Dhauranala. West - Piller No. 23/1 of compartment No. 398 and then boundary of orange area

Brief Description : - The collector Mandla vide his letter No. / Rader / Adcol/95/162 Mandla Dated 01/03/1995 has transferred to above revenue land to the forest department for land for compensatory plantation.

Reasons for afforestation : - To compensate for the loss of forest in Dolomite mining project it is proposed to raise compensatory afforestation over equivalent new forest land (Revenue land)

Divisional Forest officer
West Mandla (T) Division

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh